

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 51/2021-22

सनातन दास एवं अन्य.....अपीलकर्ता

बनाम

सिकन्दर मंडल एवं अन्य.....उत्तरकारी।

आदेश

19.04.2022

यह रे0मि0 अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0-16/2015-16 में पारित आदेश दिनांक-13.09.2021 के विरुद्ध में दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपील वाद का संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार है :-

मौजा बसमाता अंचल जरमुण्डी एक प्रधानी मौजा है। मौजा का अंतिम प्रधान तारणी मंडल थे। उत्तरकारी पूर्व (अंतिम) प्रधान के जेष्ठ पुत्र है। मौजा के रैयतों द्वारा उत्तरकारी पर आरोप है कि वह मौजा बसमाता में नहीं रहते है, वह सालजोर मौजा में रहता है जो मौजा बसमाता से 2-3 कि0मीटर की दूरी पर है। इसके अलावे उत्तरकारी मौजा के प्रधानी जमीन पर खपड़ापोश मकान बनाकर अतिक्रमण किए हुए है। उन पर यह भी आरोप है कि उनके द्वारा गोचर जमीन बेचा गया है तथा स्वयं अपने जमाबंदी जमीन पर मिला लिया है। इन आरोपो के बाबजूद उत्तरकारी को मौजा का प्रधान संधाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा-6 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है। इसी आदेश के विरुद्ध में यह अपील वाद दायर किया गया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :-

- (1) उत्तरकारी मौजा बसमाता में नहीं रहता है वह मौजा सालजोर में रहता है जो मौजा बसमाता से 2/3 कि0मी0 दूरी पर है।
- (2) उनके द्वारा मौजा के प्रधानी जोत जमीन पर खापड़ापोश घर बनाया गया है।
- (3) मौजा के गोचर दाग सं0-10 एवं 47 को अपना जमाबंदी जमीन दाग सं0-46,47 एवं 68 में मिला लिया है।

(4) उत्तरकारी द्वारा गोचर दाग सं०-10 का 02(दो) कट्टा जमीन रघु मुर्मू को बेचा गया है।

(5) वह ग्राम-पाड़ासिया थाना-अंडाल, जिला-वर्द्धमान (पश्चिम बंगाल) में भी घर बनाकर रहता है जहाँ वह हरा सब्जी का दुकान किया हुआ है।

(6) उन्हें मौजा के रैयतों का समर्थन प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया जाना न्याय संगत नहीं है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :-

(1) उत्तरकारी मौजा के अंतिम प्रधान के जेष्ठ पुत्र है। अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उन्हें प्रधान पद पर नियुक्त करने का अनुशंसा किया गया है। अंचल-अधिकारी के प्रतिवेदन पर किसी रैयत का आपत्ति नहीं है।

(2) उत्तरकारी पर गोचर जमीन अतिक्रमण का आरोप अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन द्वारा गलत पाया गया है।

(3) वह मौजा बसमाता के अलावे सालजोर में भी निवास करता है। दोनो सटा हुआ मौजा है।

(4) अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारीज किया जाय।

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :-

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा अंचल अधिकारी, जरमुण्डी के पत्रांक-135/रा० दिनांक-05.02.16, पत्रांक-1340/रा० दिनांक-14.10.2017 पत्रांक- 713/रा० दिनांक-11.09.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पारित आदेश पर उल्लेख किया गया है कि उत्तरकारी मौजा के अंतिम प्रधान का जेष्ठ पुत्र है। गोचर भूमि अतिक्रमण करने के संबंध में अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया है कि उत्तरकारी द्वारा किसी गोचर भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। पूर्व प्रधान द्वारा प्रधानी जोत जमीन पर ईट एवं दिवाल का छावनी खपरैल का

मकान बनाया है। मौजा बसमाता के रैयतों द्वारा ग्राम सभा कर उत्तरकारी को प्रधान बनने पर सहमति दिया है। इसी आधार पर उत्तरकारी को मौजा का प्रधान संधाल परगना कास्तकारी

अधिनियम के धारा-6 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है। उत्तरकारी पर लगाया गया आरोपो के संबंध में निम्न दो बिन्दुओ पर श्री चन्द्रजीत सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई :-

1. सिकन्दर मंडल (अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नियुक्त प्रधान का घर संबंधित मौजा से दो कि०मि० से अधिक है।
2. संबंधित सिकन्दर मंडल द्वारा गोचर जमीन पर अतिक्रमण किया गया है।

श्री चन्द्रजीत सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी -सह- उप समाहर्ता जिला सामान्य शाखा, दुमका का प्रतिवेदन पत्रांक-354/सा० दिनांक-09.04.2022 द्वारा प्राप्त है। प्रतिवेदन में उल्लेख है कि सिकन्दर मंडल का घर ग्राम-सालजोर में अवस्थित है। जिसकी दूरी बसमाता से भाया हरकुण्ड ग्राम होते हुए 1.5 कि०मि० तथा भाया खेत पगडंडी होते हुए 1.10 कि०मि० है। सिकन्दर मंडल द्वारा गोचर जमीन का अतिक्रमण से संबंधित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि सिकन्दर मंडल आदि द्वारा गोचर जमीन का अतिक्रमण नहीं किया गया है।

प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है कि प्रधानी जोत जमीन दाग सं०-67 में अंतिम प्रधान तारणी मंडल द्वारा निर्मित खपरैल घर है, जिसमें अनिरुद्ध मंडल पिता-तारणी मंडल वसोवास करते हैं।

प्रावधान

Sec-6 Landlord to report the death of village headman.

- When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

Schedule V of the Santhal Parganas Tenancy (Supplementary) Rules, 1950 provide for the rules for the appointment of headmen.

“In appointing headmen the following rules should be taken into consideration: The headman must be a resident of the village or his permanent home must be within one mile of the village.

The appointments of headmen shall be made in accordance with village customs, and before confirming any appointment, the Deputy Commissioner shall satisfy himself that the candidate is generally acceptable to the raiyats, and an opportunity shall also in every instance, be afforded to the proprietor to object to any candidate.”

पुनः यह भी उल्लेख है कि:-

“The office of headman being hereditary, the next heir, who is fitted should be headman.”

इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि The office of mulraiyyat is hereditary in nature and next heir who is fit, is entitled to be a mulraiyyat. He possesses special rights. When a mulraiyyat dies, the nearest male heir is entitled to succeed and if there is no male heir the D.C. may permit a female heir to succeed

ठाकुर हेम्रम बनाम बिहार राज्य 1980 BLJR 448: 1980 BLJ 212 (DB) के वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि :-

‘authorities should have first considered the case of person claiming right to the post of pradhan on the basis of hereditary claim. It was pointed out that the procedure of election under Section 5 comes only after rejecting the hereditary claim.’

पुनः बाबुलाल हेम्रम बनाम बिहार राज्य 1998 (1) PLJR 43 में स्थापित है कि :-

“the headman’s duty it is self evident that for any meaningful discharge of those duties, it would be essential for the headman to permanently and regularly reside in the village in question and it would not be possible to discharge those duties satisfactorily in case he lived outside the village on government postings and came to the village only intermittently”

निष्कर्ष

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरकारी पर लगाया गया आरोप अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में सत्य नहीं पाया गया है। फलस्वरूप अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा उनकी बसमाता के प्रधान पद पर संधाल परगना कारस्तकारी अधिनियम के धारा-6 के अन्तर्गत की गई नियुक्ति प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होती है।

ज्ञातव्य है कि धारा-6 के अन्तर्गत Appointment हेतु 'Next Heir', 'Fitness तथा General Acceptability' प्रमुख मानक है तथा उपरोक्त के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय युक्तियुक्त प्रतीत होता है। पुनःश्च उत्तरकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच के क्रम में पुष्टि नहीं हो सकी है, तथा संबंधित आरोप अपने आप में स्वतंत्र रूप से अपील का आधार स्थापित नहीं करते हैं। यदि वादी को यह प्रतीत होता है कि उत्तरकारी प्रधान के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोई चुक कर रहे हैं तो उस आधार पर वह अनुमंडल पदाधिकारी का पृथक शिकायत कर सकते हैं जिसका नियमानुसार तथा ससमय निष्पादन अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरकारी के पूर्वज अंतिम प्रधान तारणी मंडल द्वारा प्रधानी जोत जमीन पर खपरैल का मकान बनाया गया है।

आदेश

उपरोक्त वर्णित तथ्य एवं कानूनी प्रावधान के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारीज किया जाता है। उत्तरकारी तथा अंचल अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि प्रधानी जोत पर बनाया गया मकान 90 दिनों के अन्दर अतिक्रमण से मुक्त करवाना सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित


उपायुक्त,
दुमका।


उपायुक्त,
दुमका।

194 B.S. 29/9/22